कार्यलय : महाप्रबन्धक (जलकल) नगर निगम, गोरखपुर
पत्रांक [illegible]/महा0प्र0(जल)/2014–15 दिनांक 03 /11/2014

कार्यादेश

मेसर्स. शौमित्र इण्टर प्राईजेज
गोरखपुर

कार्य का नाम– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड सं0 55 रसूलपुर में नये मिनी नलकूप का पम्प मोटर एवं राईजिंगमेन डालने का कार्य ।

उपरोक्त कार्य के लिए आपके पक्ष में रूपया 4,11,375.00 की स्वीकृति दिनांक–07.11.2014 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गयी है। कृपया कार्यादेश जारी होने के तिथि से 60 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करके देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करदें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यादेश पाने के सात दिन के अन्दर रूपया 100.00 का स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करदें। साथ ही कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर जमानत धनराशि रूपया 41,000.00 की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 देना आवश्यक है, जो महाप्रबन्धक (जल) के पक्ष में बन्धक रहेगा, जिसकी जॉच में कोई अनियमितता पाये जाने पर अनुबन्ध/कार्यादेश निरस्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यदि आप द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध पूर्ण नही किया गया तो ऐसी दशा में नगर निगम, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण करा लेगा। और इस पर जो भी क्षति होगी उसका समायोजन आपकी जमा किसी भी धरोहर धनराशि तथा अन्य कार्य के भुगतान से कर लिया जायेगा। यह शर्त आपको मान्य होगी तथा कार्य को गुणवत्तापूर्वक सम्बन्धित अवर अभियन्ता की देख रेख में करायेगें।

VN 316/MAR 15

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपिः

1. सहायक अभियन्ता (जल) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता (जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर

वार्ड 55 में किन्नी T/W का अधिष्ठापन